निरीक्षण प्रतिवेदन

गुवा –सलाई पथ के फेज–। (कि0मी0 2.00 से कि0मी0 11.00) पथांश का प्रयोक्ता एजेन्सी कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण,पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर द्वारा पथ के पुनर्निर्माण ,चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए पूर्व में समर्पित अपयोजन प्रस्ताव क्षेत्र 9.939 हे0 के बारे में राज्य सरकार वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,राँची के पत्र संख्या–वनभूमि–21/2016–4526 दिनांक 28.09.2016 के द्वारा उठाई गई आपत्तियों एवं निर्देश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा अपयोजन को वापस लेते हुए उक्त फेज–। पथांश के लिए 0.03 हे0 जंगल–झाड़ी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए संशोधित प्रस्ताव 9.969 हे0 का अपयोजन प्रस्ताव इस कार्यालय के Website में Online दिनांक 14.03.2017 को प्राप्त हुआ है।

तदनुसार अधोहस्ताक्षरी के द्वारा प्राप्त संशोधित अपयोजन प्रस्ताव 9.969 हे0 का स्थलीय जाँच दिनांक 26.03.2017 को किया गया। निरीक्षण में उक्त पथ के फेज–।(कि0मी0 2.00 से कि0मी0 11.00) में पथ का निर्माण कार्य वर्तमान में बन्द है एवं किसी प्रकार के अन्य गतिविधि नही देखा गया अर्थात यथावत् है। इस प्रकार पूर्व प्रस्ताव में जो निरीक्षण की स्थिति पाई गई थी आज भी स्थिति वही है। पूर्व निरीक्षण विस्तृत प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्न–यथोक्त।

27/3/17

वन संरक्षक,
सारण्डा वन प्रमण्डल,
चाईबासा।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
सारण्डा वन प्रमण्डल,
चाईबासा।

I– सलाइ पथ के फेज –I (1.00 से 9.00 कि0मी0) का निरीक्षण प्रतिवेदन.

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा पुर्व प्राप्त प्रस्ताव पर उक्त पथ का स्थलीय भौतिक सत्यापन दिनांक 29.01.2016 एवं 30.01.2016 तथा वर्तमान प्रस्ताव के आलोक में दिनांक 04.04.2016 को किया गया। प्रस्तावित पथ नुईया पी0एफ0. एवं घाटकुड़ी आरक्षित वन के कम्पार्टमेन्ट–17, 15 एवं 14 से गुजरता है । पथ की पूर्व खण्डित चौड़ाई के अतिरिक्त वन क्षेत्र में मिट्टी कटाई एवं अतिक्रमण पाया गया जिसकी पथ की जगह–जगह नापी करवाई गई। हुई कार्य के चौड़ाई एवं उसके अनुसार संगणित वनभूमि का रकवा की गणना की गई। पूर्व खण्डित क्षेत्र की चौड़ाई औसत 12 मीटर के अनुसार संगणना करने पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अभी तक 8.411 हे0 अधिक वनभूमि में बिना अनुमति के कार्य कर लिया गया है जिसमे RF-7.851 ha. एवं PF-0.560 ha. है। पूर्व खण्डित चौड़ाई 12 मीटर मानने का कारण यह है कि 11 मार्च,2015 को वन विभाग एवं पथ निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त जाँच किया गया था उसमें खण्डित पथ की चौड़ाई 10.2 मीटर से लेकर 12.7 मीटर पाया गया। इसके अतिरिक्त फेज–I के 9 कि0मी0 चेनेज के आगे भाग जो फेज–II में पड़ता है जहाँ अभी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। उसके वर्त्तमान खण्डित क्षेत्र की चौड़ाई की मापी एवं फेज–I के बचे पुराने पुलिया की चौड़ाई भी इसी के अनुरूप आता है। उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर ही पूर्व खण्डित चौड़ाई 12 मी0 मानते हुए गणना की गई है। इस तरह, बगैर सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये पथ निर्माण विभाग,पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर के पदाधिकारियों द्वारा पूर्व खण्डित चौड़ाई से बाहर 8.411 हे0 वन क्षेत्र में कार्य किया गया है।

आवेदक की प्रस्तावित चौड़ाई 20.5 मीटर, 25 मीटर तथा वर्त्तमान खण्डित भाग को लेने है एवं पूर्व खण्डित 12 मीटर को छोड़ने पर यह प्रस्ताव वास्तव में 9.939 हे0 का होता है जिसमे RF-9.379 ha. एवं PF-0.560 ha है जिसकी गणना विवरणी अनु0–XII के रूप में संलग्न है। कई जगहों पर आवेदक के प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक पहले ही खण्डित है एवं कुछ जगहों पर प्रस्ताव से कम है जिससे इस अन्तर के क्षेत्र को जोड़ने पर वास्तविक अपयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि अब 9.939 हे0 होता है।

वस्तुतः उक्त पथ में जहाँ से वनभूमि शुरू है एवं आगे सलाई तक जाता है उस पर वाहनों का आवागमन काफी कम रहता है। वर्त्तमान में भी मात्र एक बस एवं कुछ छोटी गाड़ियां ही इस पथ पर चलती हैं। पथ का यह भाग मुख्यतः पहाड़ी वन क्षेत्र से गुजरता है जहाँ कोई गाँव अवस्थित नहीं है। इसके आगे वाले फेज में कुछ गाँव यथा घाटकुड़ी ,गंगदा, रोवाम आदि हैं जिनका आवागमन मुख्यतः इस पथ से होता है। इस पथ का पूर्व मे जो खण्डित चौड़ाई था उसी के अन्दर पथ के मरम्मति/मजबूतीकरण करने पर आवागमन के लिये पर्याप्त हो जाता। सारण्डा वन प्रमण्डल के अन्तर्गत जितने भी मुख्य पथ जैसे हाथी चौक से सेडेल, सेडेल से किरीबुरू, सेडेल से छोटानागरा, छोटानागरा से सलाई–मनोहरपुर हैं, उनकी चौड़ाई भी 12 मीटर (Blacktop+Visible Flanks) से अधिक नहीं है जो पूर्व खण्डित चौड़ाई पर बिना अतिरिक्त कटाई के निर्मित है, तब सबसे कम महत्व वाले पथ पर इतनी वनभूमि की कटाई कर पथ बनाने का कोई औचित्य नहीं लगता है।

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अभी भी 25 मीटर चौड़ाई की भूमि को पथ निर्माण का भूमि माना जा रहा है एवं इसका आधार टोपोशीट में रेखांकित पथ की चौड़ाई को ली जा रही है। जबकि अधिग्रहण का कोई भी अभिलेख उनके द्वारा समर्पित नहीं किया जा रहा है। कई पत्रों एवं वार्ता में इन्हें अवगत

कराया गया है कि अधिग्रहित मामले में भी 25.10.1980 के पूर्व खण्डित भाग के अतिरिक्त अन्य वनभूमि कार्य करने के लिये भारत सरकार से अनुमति लेना आवश्यक होगा। भारत सरकार, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F- No.-11-467/2015 दिनांक 11.12.2015 की प्रति भेजते हुए भी कार्यपालक अभियन्ता, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर से अनुरोध किया गया है कि इस पत्र के आलोक में Blacktop+clearly visible Flanks के अतिरिक्त अन्य वन भूमि पर बिना सरकार के अनुमति के कार्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी भी पथ निर्माण प्रमण्डल, मनोहरपुर के पदाधिकारी इससे सहमत नहीं हैं एवं 25 मी0 चौड़ाई को अपना मानते हुए कार्य करने पर अड़े हैं। कार्य बन्द होने के चलते उनके द्वारा यह प्रस्ताव समर्पित की गई है लेकिन कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है।

05/4/2016

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सारण्डा वन प्रमण्डल,
चाईबासा।